प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ - प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों जिनमें निगम कर, आयकर और धनकर शामिल हैं, की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गये हैं और इसे निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया गया हैः-

(i) अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन;

(ii) अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव;

(iii) अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण; और

(iv) अध्याय IV: भाग क में आयकर और भाग ख में धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गये मामले 2011-12 के दौरान और पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा के परिणाम हैं जो पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके।